Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 13, Issue No. 1, April-2017, ISSN 2230-7540

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एंव मानवाधिकार

Narender Kumar[1]* Dr. Rakhee P. Kelaskar[2]

[1]Research Scholar, Dept. of Sociology, OPJS University, Churu, Rajasthan

[2] Professor, OPJS University, Churu, Rajasthan

सारांश – किसी भी समाज में महिला (स्थिति) का अनुमान, उस समाज के कानून (संविधान) में महिलाओं को दिए गए मानव (मौलिक) अधिकारों से लगाया जा सकता है। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय संविधान में महिलाओं को प्रत्येक नजरिए से समान समझा गया है। चाहे वह पारिवारिक स्थिति हो या सामाजिक, व्यक्तिगत हो या सरकारी। प्रत्येक स्थिति में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए है। लेकिन पिछले तीन–चार दशकों से महिलाओं के प्रति अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

----------X----------

प्रस्तावना

महिलाओं के प्रति बढते अपराधों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जाता है।

(1) महिलाओं की स्थिति

(2) उनके विरूद्ध हिंसा की प्रकृति

(3) पारिवारिक हिंसा

(4) बालिकाओं की स्थिति एंव उनके विरूद्ध हिंसा

(5) पुलिस की भूमिका एंव विधियॉ

(1) महिलाओं की स्थितिः– यधपि प्राचीन काल से ही भारत में महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्राचीन समाज में महिलाओं को पुरूष के समान अधिकार प्राप्त थे और आज भी भारतीय नारी को पुरूष के समान अधिकार प्राप्त है। जिससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति उच्च स्तर पर है। लेकिन आज भी अधिकतर महिलाए अशिक्षित एंव अज्ञान है क्योकि उन्हे यह मालूम नही है कि उसके अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में अज्ञानता की मात्रा अधिक है। इसलिए उन्हे अपने अधिकारों एंव कर्तव्यों के विषय में कोई ज्ञान (जानकारी) नही है। संविधान में समान अधिकारों का समावेश किया जाना कोई सरल कार्य नही है। सन् 1917 ई0 में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए ब्रिटिश शासको के समक्ष आन्दोलन किया जिनमें महिलाओं ने पुरूषों के समान अधिकारों की मॉग की, लेकिन ब्रिटिश शासको ने इसे अस्वीकृत कर दिया। सन् 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महिलाओं की समानता को बिना किसी शैक्षिक पद की स्थिति को ध्यान में रखते हुंए स्वीकार कर दिया गया। जिसकी पुनरावृति भारतीय संविधान में की गयी तथा नारी की स्वतंत्रता एंव समानता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया है। तथा राजनैतिक तथा सामाजिक, शैक्षिक समानता को पुरूषों के समान माना गया। तथा सभी नौकरियों में पुरूषों के समान वेतन लेने की समानता को भी सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है।

सरकार द्वारा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुंए यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुंत ही सुदृढ एंव उच्च है परन्तु पिछले तीन दशकों में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है जिसके समाधान के लिए सरकार ने अनेक कानून प्रावधानों/और कानूनो को लागू किया है जिससे इनसे संबधित अपराधों पर प्रतिबन्ध लगाया है लेकिन इनमें वृद्धि निरन्तर जारी है। यदि हम कुछएक आकॅडों पर नजर डाले तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। सन् 1990 में महिलाओं के विरूद्ध बलात्कार के 9518, उत्पीडन के 20194 मामले, अपहरण के 11699 मामले, छेडखानी के 8620 मामले, दहेज मृत्यु के 4386 मामले, पति व उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार के 13450 मामले दर्ज किए गए जो 1991 में क्रमशः बढकर 9793, 20611,12300, 10283, 5157, 15949 हो गए। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि महिलाओं के विरूद्ध क्रूरतापूर्ण व्यवहार के मामलों में आश्चर्यजनक वृद्धि हो रही है। जो एक चिन्ता का विषय है।

2. महिलाओं के विरूद्ध हिंसाः– यधपि प्रशासन ने महिलाओं की सुरक्षा, समानता एंव विकास के लिए अनेक कानूनों की व्यवस्था की है और उन्हे लागू किया गया है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद महिलाओं के विरूद्ध प्रयोग की जाने वाली हिंसा में कोई कमी नही आई है। पिछले चार दशकों के आकंडों पर नजर डाले तो पता चलता है कि महिलाओं के विरूद्ध कुछ विशिष्ठ प्रकार के अपराधों

www.ignited.in

जैसे महिला उत्पीडन, दहेज, मृत्यु,पति एंव उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरतपूर्ण व्यवहार इत्यादि में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो रही है। महिलाओं के हिंसा के शिकार होने के लिए हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ अधिक उत्तरदायी है। हिंसा का शिकार प्रायः विवाहित महिलाए अधिक है।

सामान्यतया महिलाएँ निम्न प्रकार की हिंसा के शिकार होती है:–

(क). बलात्कार – (ड) महिला उत्पीडन

(ख). दहेज मृत्यु– (च) क्रूरतापूर्ण व्यवहार

(ग) आत्महत्या – (छ) अपराधिक हमला

(घ) मार–पीट – (ज) शारीरिक शोषण

(क) बलात्कारः– बलात्कार से तात्पर्य किसी स्त्री सहमति के बिना उसके साथ जबरन या डरा कर या धमका कर या नशे में या धोखें में संभोग करना है। बलात्कार की शिकार महिलाएँ न केवल शारीरिक हिंसा की शिकार होती है अपितु मानसिक हिंसा की शिकार भी होती है, जो उन्हे अधिक अपमानित, विचलित एंव तिरस्कृत करने में अपनी विशिष्ठ भूमिका निभाता है। बलात्कार के मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है क्योकि हमारे समाज में पुरूष अनुपात में असमानता पाई जाती है। दूसरे व्यक्तियों में अपराधिक प्रवृति की मानसिकता में वृद्धि हो रही है।

(ख) दहेज मृत्युः– दहेज मृत्यु से तात्पर्य है किसी महिला की उस मृत्यु से है जिसका मूल कारण दहेज से सम्बन्धित है। अर्थात दहेज लेने के लिए विवश करने पर भी दहेज न देने पर यदि किसी औरत की हत्या कर दी जाए या ऐसी परिस्थीति उत्पन्न कर दी जाए जिससे वह औरत आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए तो वह दहेज मृत्यु कहलाती है। आजकर दहेज–मृत्यु के मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। दहेज मृत्यु के अधिकतर शिकार नवविवाहित लडकियाँ होती है। दहेज–मृत्यु हमारे समाज के लिए एक कलंक है जिसे जड से मिटाना आवश्यक है। 1987 में दहेज–मृत्यु की संख्या 1912 थी जो 1991 में बढकर 5157 तक हो गई।

(ग) आत्महत्या :– कुछएक लडकियाँ और महिलाए बलात्कार किए जाने पर या अन्य परिस्थीतियों में यह समझने लगती है कि वे समाज के अन्दर रहने के काबिल नही है और आत्महत्या करना ही एकमात्र उपाय है तो वे उपयुक्त सहायता मिलने के अभाव में आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाती है। यधपि आत्महत्या के मामलों में कुछ कमी आई है लेकिन फिर भी इनको न्यूनतम् सीमा तक कम करना जरूरी है।

(घ) मार–पीट :– प्रायः पुरूषों द्वारा पत्नी से मार पीट करना एक आम बात है। कई बार स्थितियाँ बदतर हो जाती है कि महिलाएँ आत्महत्या तक करने के लिए विवश हो जाती है। प्रायः माता–पिता या सौतेले पिता, सास–ससुर या पति, रिश्तेदारों द्वारा दुर्व्यवहार करना पारिवारिक हिंसा का एक विशिष्ठ रूप है।

(ड) महिला उत्पीडन :– महिला उत्पीडन से तात्पर्य महिलाओं के विरूद्ध प्रयोग की जाने वाली उस हिंसा से है जो उनके शोषण करने, मार–पीट करने, दुर्व्यवहार करने, अधिकारो का प्रयोग करने से वंचित करने तथा उनको शारीरिक व मानसिक यंत्रणा प्रदान करने से संबधित हो। वर्ष 1987 में महिला उत्पीडन के 16,292 मामले दर्ज किए गए जबकि सन् 1991 में इनकी संख्या बढकर 20611 हो गई।

(च) क्रूरतापूर्ण व्यवहार :– पिछले दो दशकों से महिलाओं के प्रति क्रुतापूर्ण व्यवहार संबधी हिसां में वृद्धि हो रही है। पतियों द्वारा या पति के रिश्तेदारों द्वारा विवाहित महिलाओं के साथ विवाह के बाद 7 वर्ष के दौरान की जाने वाली हिंसा को एक दण्डनीय अपराध घोषित किये जाने के बाद भी इन अपराधों में बढोतरी जारी है। क्रुरतापूर्ण व्यवहार से तात्पर्य उन हिसात्मक विधियों से है जिनका प्रयोग किसी महिला को शारीरिक एंव मानसिक रूप से तंग करने के लिए किया जाता है। वर्ष 1989 में क्रुरतापूर्ण व्यवहार के 11603 मामले प्रकाश में आए जबकि वर्ष 1991 में बढकर 15949 मामले प्रकाश में आए।

(छ) अपराधिक हमले :– प्रायः कामकाजी महिलाए अपराधिक मामले का शिकार होती है। अपराधिक हमला में छेडखानी, चोट पहुँचाना तथा अपशब्दों का प्रयोग करना तथा अश्लील व्यवहार करना इत्यादि बातों को शामिल किया जा सकता है। अपराधिक हमले के मामले भी आवश्यक रूप से बढते रहे है। सन् 1987 में महिलाओं से छेडखानी से संबधित 7270 मामले दर्ज किए गऐ जबकि वर्ष 1990 में बढकर 9934 हो गए।

(ज) शारीरिक शोषण :– आज महिलाओं को समान अधिकारों के लिए कितनी घोषणाएँ करे, सभी बेमानी है। इस पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के अधिकारों की इतनी चतुराई से अनदेखा कर दिया जाता है कि महिलाएँ दासों जैसी जिदंगी व्यतीत कर रही है। इसका प्रमुख कारण मानसिक हीनता एंव महिलाओं के प्रति दासता का रवैया है। पुरूषों द्वारा इनका शारीरिक शोषण तो किया जाता है इसके साथ साथ ये पुरूषों द्वारा प्रताडित भी की जा रही है। व्यक्तिगत प्रताडना के साथ साथ पुरूष हिंसा का भी शिकार होती है।

3. पारिवारिक हिंसा :– पारिवारिक हिंसा से तात्पर्य उस अनैतिक, अमानवीय,गैरकानूनी एंव अवांछित कार्य से है जो किसी परिवार के सदस्य या सदस्यों द्वारा किसी एक सदस्य के विरूद्ध प्रयोग किया जाता है। पारिवारिक हिंसा के अन्तर्गत परिवार की महिला के विरूद्ध मारपीट करने, यातना देने, क्रुरतापूर्ण व्यवहार, भूखा रखना, तथा बारबार अपशब्द का प्रयोग करना शामिल है।

हमारे देश में पारिवारिक हिंसा एक सामान्य घटना है। पारिवारिक हिंसा मानवता के विरूद्ध अपराध है। प्रायः सौतेले मॉ–बाप द्वारा

बच्चों के साथ तथा दहेज ना दिए जाने पर विवाहिता महिला के साथ पारिवारिक हिंसा का प्रयोग किया जाता है। पारिवारिक हिंसा की शिकार अधिकतर वह महिला व बच्चे होते है जिनके पति या पिता शराब पीते है या नशा करते है। कुछेक मामले में, महिलाओ का यौन शोषण जान–पहचान वालों (रिश्तेदारो) द्वारा बहका कर या बहला–फुसला कर किया जाता है जो पारिवारिक हिंसा का ही एक घिनौना रूप है। कुछेक सामाजिक रीति रिवाज भी पारिवारिक हिंसा के न्यनाधिक रूप से उत्तरदायी होते है जैसे सती प्रथा। सतीप्रथा हमारे देश में आज भी प्रचलित है जिसमें एक महिला को जबरन पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता है। यह पारिवारिक हिंसा का खौफनाक रूप है। इस प्रकार जबरन गर्भपात कराना भी पारिवारिक हिंसा का एक रूप है। बशर्ते कि उसकी जान जाने का खतरा ना हो।

4. बालिकाओं की स्थिति एंव उनके विरूद्ध हिंसा :– हमारे देश में बालिकाओ की दशा अत्यन्त उपेक्षाजनक, अनअपेक्षित एव शोचनीय है। अधिकतर बालिकाएँ सामाजिक रीति रिवाज एंव परंपराओं की चक्की में घून की तरह पिस रही है। समाज में बालिकाओं को निम्न नजरिए से देखा जाता है। हमारे देश में अधिकतर बालिकाएँ कुपोषण का शिकार हो रही है। उन्हें समान सुविधाएँ एंव समान अवसर प्रदान नही किए जाते ताकि वे अपना विकास कर सकें। अधिकतर महिलाएँ अशिक्षित होती है। अतः वे अधिकारों का उपयोग करते तथा उनके प्रति जागरूक रहने में असमर्थ रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी अधिक खराब और दुःखदायी है।

स्वंय अपने परिवारों के अंदर की लडकियों के प्रति दृष्टिकोण अपनाया जाता है। लडकियो को लडको के समान सुविधॉए प्रदान की जाती और उनसे आवश्यकता से अधिक काम लिया जाता है। लडकियों का शोषण करने में महिलाएँ बढ–चढकर भूमिका निभाती है। कुल मिलाकर हमारे देश में महिलाओं एंव बालिकाओं की स्थिति सामाजिक रूप से अच्छी नही हो सकती। यधपि केरल, हरियााणा, और उत्तर प्रदेश से बालिकाओं की अच्छी स्थिति, विकास और शिक्षा के लिए कुछ प्रयास किए गए है। जो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकते है।

प्रायः माता–पिता द्वारा लडको की अपेक्षा बालिकाओं से कार्य लेने में दुर्व्यहार किया जाता है। कई बार तो मारपीट एंव हिंसा का खुलकर प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालविवाह का प्रचलन होता है। जिसके दहेज न देने या कम दहेज देने व पति एंव पति के रिश्तेदारों द्वारा दहेज लेने के लिए तंग करने, जलानेद्व आत्महत्या के लिए मजबूर करने, यातनाएँ देने तथा दुर्व्यवहार संबधी हिंसा का प्रयोग किया जाता है। बालिकाओं का शोषण करना एक फैशन सा बन गया है। यह भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है।

संदर्भिका

अग्रवाल, ओ.एच. (1983). "भारत के विशेष सन्दर्भ में मानवाधिकारों को लागू करना", इलाहाबाद, किताब महल

बाजवा, जी. एस. (1995) "भारत में मानवाधिकार : उल्लंघन और क्रियान्वयन", नई दिल्ली, अनमोल प्रकाशन

बान्डुरा टी. एस. (1973). "एक समाजशास्त्रीय अधिगम विश्लेषण", प्रेनटीक हॉल, न्यू जर्सी

बजा, टी. एस. (1979). "मानवाधिकार : एक आलोचना", नई दिल्ली, मेट्रोपालिटिन बुक कम्पनी

Corresponding Author

Narender Kumar*

Research Scholar, Dept. of Sociology, OPJS University, Churu, Rajasthan

E-Mail – ashokkumarpksd@gmail.com